<u>मेसर्स फतेहपुर ईस्ट कोल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम फतेहपुर, रूपुंगा, नरकालो, उदउदा एवं अमलीटिकरा, तहसील – धरमजयगढ़, जिला – रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित फतेहपुर ईस्ट ओपन कास्ट कोल माईन – 10 एमटीपीए (पीक) कुल प्रोजेक्ट एरिया – 1913.208 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 10.01.2014 का कार्यवाही विवरण :–</u>

मेसर्स फतेहपुर ईस्ट कोल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम फतेहपुर, रूपुंगा, नरकालो, उदउदा एवं अमलीटिकरा, तहसील – धरमजयगढ़, जिला – रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित फतेहपुर ईस्ट ओपन कास्ट कोल माईन – 10 एमटीपीए (पीक) कुल प्रोजेक्ट एरिया – 1913.208 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 10.01.2014, स्थान – षासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, ग्राम–उदउदा के पास का मैदान, तहसील – धरमजयगढ़, जिला – रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में सपन्न हुई । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रातः 11:00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में सहायक कलेक्टर, रायगढ़, तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आस–पास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी तथा लोक सुनवाई के संबंध में प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में एक माह पूर्व लोक सूचना प्रकाषन तथा विभिन्न कार्यालयों/ग्राम पंचायतों में ड्राफ्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट तथा इसकी सार रिपोर्ट (साफ्ट कापी सहित) रखे संबंधी जानकारी दी गई।

लोक सुनवाई में लगभग 2000 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 64 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी प्रतिनिधि श्री बाल्मीकि साहू, महाप्रबंधक द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई इनके द्वारा बताया गया कि मेसर्स फतेहपुर ईस्ट कोल प्राईवेट लिमिटेड के प्रस्तावित कोयला खुली खदान से 5 कंपनियो को उनके प्रस्तावित विद्युत संयन्त्रों मेमर्स आर.के.एम. पावर जेन प्रा.लि., वीसा पावर लि., ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.,जे.एल.डी. यावतमाल इनर्जी लि., एवं वंदना विद्युत लि., में केप्टीव पावर हेतु उपयोग किया जायेगा। इन पांचो कम्पनियों ने कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देषानुसार फतेहपुर ईस्ट कोल प्रा.लि. के नाम से एक कम्पनी स्थापित कि है इससे अधिकतम 10 मिलीयन टन प्रतिवर्ष कोयला का उत्पादन किया जायेगा। कोल ब्लाक के पूर्व में 60 मीटर दूरी पर माण्ड नदी बहती है। कोल ब्लाक का कुल क्षेत्र 1728.208 हे. है। आरक्षित , संरक्षित तथा राजस्व वन कुल मिलाकर 1093.485 हे. है। कोल ब्लाक के अंदर फतेहपुर एवं रूपुंगा गांव की आबादी क्षेत्र भी आता है। कोयला उत्खन्न खुली खदान से किया जायेगा। जिसके लिए शावेल – डम्पर का उपयोग किया जायेगा। खदान से निकले कोयले को कोल हेन्डलिंग प्लांट में सईज्ड करने के बाद रेल द्वारा पांचों विद्युत संय़त्रों को भेजा जायेगा। जब तक रेल नेटवर्क विकसित नहीं होता है तब तक कोयले का परिवहन सड़क मार्ग द्वारा करना प्रस्तावित है। खदान का कार्यकाल 27 वर्ष का होगा खदान के ओवर बर्डेन को खदान भराव में उपयोग कर उपजाऊ मिट्टी डालकर हरियाली विकसित कि जायेगी।

खदान क्षेत्र से बहने वाले पवासी नाला को डाईवर्ट किया जायेगा। पुनर्वास एवं विस्थापन छ. ग. शासन के नियमानुसार किया जायेगा। खदान संचालन के लिए जल की आपूति खदान में एकत्रित जल से की जायेगी। परियोजना में 1280 व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जायेगा। सी.एस.आर के तहत 5 करोड़ रू. प्रति वर्ष खर्च किया जायेगा। जिसके तहत षिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, सांस्कृतिक क्रियाकलापो, सड़क, पानी, बिजली, आदि विकास कार्य किया जायेगा। परियोजना के पयार्वरण सलाहकार डॉ जयंत मोईत्रा द्वारा बताया गया।कि परिवेषी वायु गुणवत्ता 6 स्थानों पर ध्वनि, गुणवत्ता 8, स्थानों पर सतही जल 4, भूमिगत जल मृदा के 4 स्थानों पर लिये गये है। वायु तथा ध्वनि गुणवत्ता मानको के अनुरूप पायी गई सतही जल की गुणवत्ता संतोष जनक पाई गई। 10 कि.मी. परिधि पर जन्तु तथा वनस्पति कि इन्डेजंर्ड प्रजाति नहीं पाई गई हाथी रिजर्व क्षेत्र नहीं पाया गया स्थानीय लोगों के अनुसार हाथी का यदा–कदा आना –जाना देखा गया है। 8.75 करोड़ रू. का वाईल्ड लाईफ कर्न्जवेंषन हेतु प्रस्तावित है। वेट डिलिंग की जायेगी। कट्रोंल ब्लास्टिंग किया जायेगा। जल छिड़काव कराया जायेगा। उचित नालियॉ बनाई जायेगी। वृक्षा रोपण की जायेगी। वाहनों की गति 30 कि.मी. तक सीमित रहेगी। पर्यावरण प्रयोगषाला स्थापित की जायेगी। पर्यावरण नियमों का आजीवन पालन किया जायेगा। उक्त परियोजना में किये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण के उपाय जल की आवष्यकता, ठोस अपषिष्ट प्रबंधन, स्थानीय लोगों को रोजगार, सामूदायिक विकास, कार्य आदि के संबंध में जानकारी दी गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जनसुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हे कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देष दिया गया । इसके उपरांत उपस्थित जनसमुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गई, जिस पर निम्नानुसार 204 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त कियेः–

सर्वश्री :–

1. उर्मिला सौधिया, फतेहपुर जूनापारा :– फतेहपुर कोल ब्लाक में हमारा घर एवं जमीन आ रहा है। जिससे कम्पनी हमें उचित सुविधायें प्रदान करता है तो मैं इसको समर्थन देना चाहती हूॅ।
2. सविता रवानी, फतेहपुर :– हमारा जमीन जा रहा है। समर्थन है।
3. देवरसी रवानी, फतेहपुर :– मेरा जमीन जा रहा है, सही मुआवजा दिया जाये तो समर्थन है।
4. प्रकाष रवानी, फतेहपुरः– अगर कम्पनी जमीन का सही मुआजा दे तो समर्थन।
5. कलाबती रवानी, फतेहुपरः– सही मुआवजा दे, समर्थन।
6. उषा रवानी, फतेहपुर :– यहां जो गरीब बच्चे है, उनको सही तरीके सही षिक्षा तथा उसका उचित व्यवस्था प्रदान करें, इस कम्पनी का समर्थन करता हूॅ।
7. जयंत बहिदार, रायगढ़ः– लोक सुनवाई जो करने जा रहे है, कानून के तहत पर्यावरण संरक्षण को जिम्मा दिया गया है। इस लोक सुनवाई को हम अवैध मानते है। प्रावधान का भी पालन नहीं हुआ है।. 45 दिन के अंदर लोक सुनवाई होनी थी, 2 बार लोकसुनवाई हेतु आवेदन प्राप्त हुआ, बहुत बिलंम्ब से लोक सुनवाई हो रहा है। यहां जंगल में 25 हाथी का दल विचरण कर रहा है। यहां हाथी का आना–जाना है। स्थायी रहवास हो गया है। अधिकारी लोग इसे छिपाते है। लोक सुनवाई जंगली

हाथियों के डर से स्थगित कर दिया गया था, इसको नहीं बताते है। इस परियोजना की लोक सुनवाई हम रोकना चाहते है। 10 मिलीयन टन कोयला उत्पादन होगा। 5 कम्पनी द्वारा उपयोग किया जायेगा। इनका पावर प्लांट कहा लगेंगा? नही बताया गया है। जिसकी सुनवाई हो रही है उस कोल ब्लाक के ऊपर केस चल रहा हैं। कोयला मंत्रालय कितना कितना टन इन पांच कम्पनियों द्वारा उपयोग करेगा, यह बताना चाहिए 5 विद्युत कम्पनी रायगढ़ में कहा स्थित है? बताया जाये। वीसा पावर को महाराष्ट्र को लिए कोयला आबंटित होगा कम्पनी इन सब चीजों को छिपाया है। जंगल को बहुत छोटा बताया गया है, 1913 हे. पूरा प्रोजेक्ट है। विभिन्न प्रकार के जगंली जानवर है जो निष्चित रूप से बिलोप्त होगे। मोइत्रा जी ने बताया कि सांख्यकी विभाग से जानकारी ली गई है। रायगढ़ जिला को कितना नुकसान हुआ है, सभी विभागों को रिपोर्ट करनी चाहिए एवं सभी रिर्पोट को मेल करानी चाहिए । नाले का डायवर्सन कर दुर्घटना करवाना चाहते है। टी.ओ.आर के शर्तो का पालन के अनुसार ई.आई.ए नहीं बना है। पांचों कम्पनियों का विद्युत इकाई छ.ग. राज्य में प्रस्तावित है, ई.आई.ए में बताया गया है। जबकि महाराष्ट्र राज्य में स्थित विद्युत कम्पनी को कोयला प्रदाय होगा। सी.बी.आई ने अयतमाल के विरूध्द केस दर्ज किया है। उच्च स्तरीय पावर का उपयोग तो नही किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। वन मंण्डलाधिकारी से रिपोर्ट लिया गया है कि यहां हाथी विचरण करता है। कम्पनी ने बताया योग्यता और अनुभव के आधार पर रोजगार देगें। इसका फैसला कौन करेगा? रायगढ़ के आदिवासियों के पास योग्यता और अनुभव नही है इसलिए बाहर के लोगों को रोजगार देगे, छ.ग के लोगों को रोजगार नहीं देगें। इस क्षेत्र के लोग कोयला से कितने लोग प्रभावित होगे कोयला परिवहन में तिरपाल नहीं ढकता। 70–80 कि.मी. के रफ्तार से 14 चक्का का वाहन चलाते है, सुरक्षा का कोई उपाय नही है। हाथी , शेर , भालू चिड़िया किसका संरक्षण करेगे? ये नहीं बताया गया है। कम्पनी वाले कोरबा जिला वाले को लाने के लिए भूल गये है। यह जनसुनवाई अवैधानिक तरीके से हो रहा है। लोकसुनवाई में टी. ओ.आर का उल्लंघन है। पर्यारण अध्ययन सही तरीके से नही हुआ है। जिला प्रषासन एवं पर्यावरण विभाग ने रिपोट की जांच नही की है। लोक सुनवाई अवैधानिक है।

8. राधेष्याम शर्मा,रायगढः– मेरे द्वारा 20.12 को जिला दण्डाधिकारी को एक षिकायत दी गई है। कम्पनी ने एक फर्जी ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। पर्यावरण विभाग ने कहा कि ई.आई.ए रिपोर्ट अवलोकन के लिए रखा गया है। किसके अवलोकन के लिए, आम लोगों के जनता के लिए हिन्दी में नहीं रखा गया है। न्याययिक पदों का दुरपयोग किया जा रहा है, आज पर्यन्त तक इस सबंध में कार्यवाही नहीं हुई।कम्पनी के श्री साहू तथा बेहरा ने मुझसे कहा कि सहयोग चाहिए। जन प्रतिनिधी को खरीद लिया है। जमीन की अंष धारिता यहां कोई नहीं दी जाती। इस जनसुनवाई को तुरन्त निरस्त किया जाये। यही निवेदन मैं पीठासीन अधिकारी से करता हूॅ। जिला– रायगढ़ की जनता को न्याय दिलाये, राहत दे, ई.आई.ए. आपके टेबिल पर रखा है जिसे कोई भी नहीं पढ़ सकता क्या ई.आई.ए रिपोर्ट तीनों ऋतुओं का अध्ययन कर बनाई गई है? पूर्ण जानकारी क्षेत्र की जनता को दी जाये। न्याय षीघ्र होना चाहिए । घर बैठे

अभिमत दे, ऐसी प्रक्रिया पर्यावरण विभाग क्यो नही करती इतने पुलिस वाले यहां क्यों है? मैं लिखकर दिया हूँ न्याय किया जाये । मेरे आवेदन को यही निराकृत कर दे तो मेहरबानी होगी। उद्योगपतियों द्वारा गोली चलवाया जाता है। पर्यावरण सन्तुलन के लिए यहां पर्यावरण अधिकारी है। चुनाव के जैसे खरीदा गया है ये नहीं चिल्लायेगें। हिन्दी में इ.आई.ए कराकर एक महिने बाद लोक सुनवाई करा लीजिए। कम्पनी वाले, छ.ग. के आत्म सम्मान को ललकारा है, यदि ये फर्जी नहीं होते तो मेरे घर क्यों आते? सड़क दुर्घटना का आकड़ा कम्पनी ने नही दिया। रेल लाईन कब बनेगी नही जानता। आम आदमी के चलने वाले सड़क पर औद्योगिक वाहन चल रहे है। इस कम्पनी ने क्षेत्र की जनता प्रषासनिक अधिकारी एवं आम जनता से धोखा किया है। इस क्षेत्र में जल स्त्रोत है जिसका ई.आईए. में उल्लेंख नहीं है। हमारे नैसर्गिक अधिकारो का हनन है। जनसुनवाई की प्रक्रिया विधिमान्य नही है।

9 जानकी प्रसाद पटेल, फतेहपुरः– रायगढ़ में कम्पनी क्यो खुलने दिया? हम अपनी जमीन दे रहे है तो इनको क्यों दर्द हो रहा है? कम्पनी के पक्ष में है। ऊपर की जमीन हमारी है नीचे की जमीन सरकार की है। जमीन के नीचे की कोयला को हम नहीं निकाल सकते सरकार निकालेगी, मैं कम्पनी का समर्थन करता हूँ।

10. गौरीषंकर, रूपुंगाः– ग्राम सभा उपस्थित पर नहीं लिया गया है। ये कम्पनी का ढंग है। मेरे नाम पर जमीन है मुझसे नहीं मेरे बच्चों से साईन कराया है। जमीन लेना चाहती है तो 80– 90 लाख रूपये एकड़ ले नही तो हम जमीन नही देगे।

11. जे.एस. मालिया, धरमजयगढ़ः– पूर्णतः विरोध करता हूँ । ई.आई.ए रिपोर्ट भ्रमक है। 1093 हे. इस कोल ब्लाक में जमीन जा रही है। तो ईआई.ए रिपोर्ट हिन्दी में क्यों नही दी गई। हाथी यदि यदा–कदा आता है तो 24 लोग कैसे मर गये 84 लाख मुआवजा कैसे बांटा गया। ये छोटी–मोटी खदान नही हैं। महोदय, 3705 एकड़ जमीन खरीदा जायेगा। कोयला निकालने से ओव्हार बर्डन कहां जायेगा? आस–पास के सड़क एवं मंदिर का क्या होगा? हजारो टन कोयला जाने से । कई प्राकृतिक स्थल यहां हैं, कौन सा तकनीक अपनायेगे जिससे प्रदुषण नहीं होगा। खदान के वजह से पानी का स्तर बहुत नीचे चला जायेगा। हम पानी कहा से पियेगें? कितने जीव जन्तु है, उसका उल्लेख क्यो नही किया गया है। दिल्ली में बैठे – बैठे ई.आई.ए रिपोर्ट 90 लाख रूपये लेकर कन्सलाटेंट बना दिया। शमसान घाट के लिए कोई व्यवस्था किया क्या? डी.एफ. ओ एवं सी.सी.एफ की जानकारी वन से संबंधित अलग–अलग है, जिसको प्रताड़ित किया जाता है उसकी सुरक्षा का कोई उपाय है। ई.आई.ए. में संषोधन करना होगा। एक हजार एकड़ फारेस्ट की भूमि जा रही है, फारेस्ट विभाग यहां क्यों नहीं है नोट किया जायें। लोक सुनवाई को निरस्त करने का निवेदन करता हूँ। आस–पास का क्षेत्र प्रदूषित होगा। गिलहरी , साप , जीव जन्तु का उल्लेख नही किया गया है। चिरौंजी , तेदूपत्ता , साल, आश्रित व्यक्तियों का क्या होगा?

12. सविता रथ, जनचेतना रायगढ़ :– महिलाओं का विरोध इस खदान को खोलने में है। इन्हें अपने संसाधानो के लुटने का ज्ञान नही है। विस्थापन में महिलाओ, बच्चे, तथा बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते है। क्या महिलाओं का अनुसूचि 5 पेषा एक्ट क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में खदान खुलने का मत नहीं लेना चाहिए? महिलाओं को नकार कर जनसुनवाई आयोजन करवाया जा रहा है। हम अपना खेत देने का हस्ताक्षर नहीं किये है। राषन कार्ड दिलाने के नाम पर दस्तखत कराया गया है। वनों पर इनका जीवन चलता है। वनउपज संग्रहण तथा पशु धन नष्ट हो जायेगा, ऐसी स्थिति में जनसुवाई

कराना कहां का न्याय है? पांचों कम्पनियों ने होषियारी किया है। महिलाओं का विरोध है। जनसुनवाई निरस्त किया जाये। कम्पनी के लोगों को सुरक्षित, वी.आई.पी ट्रीट देते हुये पिजरे के अंदर क्यों रखे है? हाथियों के क्षति से करोड़ो रूपये बांटा गया वह ऑकड़ा कम्पनी के कस्लटेंट मोईत्रा जी लेना भूल गये। आदिवासी समूदाय के अध्यक्ष का जनसुनवाई का करवाने का क्या समर्थन मिला है ? नही तो जनसुनवाई निरस्त करना चाहिए। बिमारी होगी जिसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे ई.आई.ए बनाने पर एफ.आई.आर दर्ज कराया जाये। महिलाओं के प्रति हिंसा होगी, बलत्कार होगा। सी.एस.आर के तहत कम्पनियॉ क्या कार्य करती है इसका ऑकड़ा है क्या? लोगों का संसाधन कम्पनियॉ क्यों छीन रही है? यहां के संसाधन छीन जाते है। देव स्थल टूटते है और सी.एस.आर का मद चक्रधर समारोह में जाते है। कोयला अगामी 25 वर्षो के लिए देष भर में है। इसके बाद कोयला नही मिलेगा। सौर ऊर्जा, प्रमाणु ऊर्जा को प्राथमिकता देनी चाहिए। जल, जगल, जमीन महिलाओं का जा रहा है, महिलाओं का विरोध है।

13 माननीय विधायक श्री. लालजीत सिंह राठिया :– यह जनसुनवाई क्यो किया जा रहा है ? किस आधार पर किया जा रहा है ? क्या यहां गरीब किसान आदिवासियों की सुरक्षा हुई है। हर्रा ,बहेरा, ऑवला, वनों की कटाई कि क्या सुरक्षा हुई है। जो हमारे पूर्वज लोग टिकरा जमीन को उपजाऊ बनाये, इस जमीन से किसान लोग फसल उपजाते है, उस पर कोल ब्लाक बनाने से अनाज मिल पायेगा? हमारी जमीन खत्म होती जायेगी, इस जनसुनवाई को निरस्त किया जाये। तुरन्त, तत्काल । मॉ अम्बेटिकरा, मॉ बोरो रानी अमरकन्टक से जूडा है। यहां किसकिंधा पहाड़ है। रामायण युग से है। पषु–पक्षी, जीव–जन्तु का आना जाना है। माण्ड नदी है। संगम स्थल है। नल–जल योजना बन गई गांव में । पर चालू नहीं है, बिजली के बिना पम्प नहीं चल सकते । नदी–नाले पर ध्यान दिया जाये। माण्ड, महानदी से हीराकुन्ड डेम तक प्रदूषित पानी बहेगा ,खदान खुल जाने से। इस पर ध्यान दिया जाये। किसानों के हितों में बात आनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के गरीब आदिवासी बिना पढे–लिखे लोगों के किसान के जमीन को 10 हजार रू. एकड़ पर खरीदा गया है। उसको 24 , 32 ,40 लाख रू. प्रति एकड़ मुआवाजा मिलना चाहिए। इनको जो जमीन आबंटित किया गया है उसे निरस्त किया जाये। हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ डरते है ईष्वर से। स्थापित रायगढ़ जिले के उद्योग में क्या छ.ग के लोगों को नौकरी दिया गया है? इसका कोई आकलन हमारे पास नही है। इन उद्योगों में कोई छ.ग के लोग नजर नही आते है। उद्योगों में स्थानीय लोगो के नौकरी के लिए प्रावधान बनाया जावें। कई लोग मुझे विरोध में आवेदन दिये है। निरस्त किया जायें।

14. जनपद सदस्य रामेष्वरी राठिया, भवनपुर :– राषन कार्ड, स्मार्ट कार्ड बनावायेगे कम्पनी वाले कहकर, हस्ताक्षर करवाते है। बाहर के लोग हमारा फायदा उठाते है। कोयला खदान के बारे में हम आवाज उठा सके। वनोपज जंगल महिलाओं की जीविका है। जल, ध्वनी प्रदुषण होगा। बिमारी होगा इसका हमें कोई जवाब देगा? कृषि उपज, भूमि नष्ट होगी। पानी नहीं मिलेगा, जनसुनवाई निरस्त किया जायें। आदिवासी महिलाओं को बहलाया फुसलाया है हमारे साथ क्या हो रहा है? हम नही जान पाते। हमारे ऊपर अत्याचार करेगे सरकार इसका जवाब देगा। बेरोजगार युवक को नौकरी देने की बात करते है। ये नहीं देगें। किसी को आन्ध्रप्रदेष, बिहार, गुजरात, में फेक देगें। भरपाई करने के लिए इनके पास कुछ नही है। इस जनसुनवाई को निरस्त करें।

हमारी सांस्कृति को दुबारा लौटा पायेगें। जंगल से महुआ, बहुत सी चीज इक्क्ठा कर सकते है हमको अधिकार है। फिर क्यों टोका जाता है। कोयला खदान खुलने से पीने का पानी नहीं मिलेगा।

15. जनपद सदस्य राजकुमारी राठिया, रूपुंगा :— कोल ब्लाक नहीं खुलेगा। हम सरई, महुआ, बीनते है, पान तोडते है, हमको जीविका मिलता है, हम कहा जायेगे? नहीं देगें।
16. पूर्व जनपद सदस्य मिलन बाई राठिया रूपुगाः— शासन जो पैसा देगा ओ लेगें। दलाल को पिटवायेगे। जमीन देगें।
17. आलोक शुक्ला, रायपुर :— विरोध करते है। 1100 हे. में वन क्षेत्र है। वाईल्ड लाईफ खत्म होगी । 3 लाख हे. भूमि खत्म हो गयी, 65 हजार परिवार विस्थापित हो गये है छ.ग. में प्रभावित ग्रामों में ग्राम संभा आयोजित नही हुई है। जनसुनवाई निरस्त किया जाये। ग्राम सभाओं की अनुमति नहीं है। भूमि अधिग्राहित नहीं कि जा सकती है। जनसुनवाई निरस्त किया जाये। यह पूरा आदिवासी क्षेत्र अनुसूची 5 के अंतर्गत है यहां के देवी देवताओं का बचाने का अधिकार आदिवासियों का है। सम्पूर्ण ईलाके का अध्ययन होना चाहिए। जमीन के नीचे का कोयला शासन का अब यह कोई कानून नही हैं। ई.आई.ए. रिपोर्ट हिन्दी एवं स्थानीय भाषाओं में नही छापी गई है। यहां भय का माहौल है, पुलिस है ।
18. रमाकांत छ.ग. बचाओं आदोलन रायपुर :— कोयला से तमाम प्रदूषित तत्व निकलेगे जिससे बिमारी फैलेगी । जैव विविधता का क्या होगा? वायु मण्डल प्रदूषित होगा, विरोध करता हूॅं।
19. रघुवीर प्रधान रायगढ़ :— जनसुनवाई की जगह धन सुनवाई हो रही है। यहां पेषा एक्ट का कानून है। यहां बैठे लोग डाकिया का काम करते है। यहां प्रषासन, प्रबंधन तथा पब्लिक है। यहां पांच जनसुनवाई होने थी वह एक हो रही है। रोजगार गांरन्टी, लोक सेवा गांरन्टी कहा है? यहां जनसंख्या 2001 का दिया गया है। क्या कोयला खदान 2001 में खुल रहा है। कितने का पुनर्वास हुआ उसका लिस्ट है। पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार पैसा छाप सकता है, क्या चाऊर धान छाप सकता है। यहां 27 वर्ष तक खदान चलेगा। लोगों का क्या होगा? यहां जितनी सुरक्षा लगाया गया है उतना सुरक्षा देष में नहीं है।
20. आसमती बाई :— खदान नहीं होना चाहिए।
21. जगौरो बाई, उदउदाः— नहीं चाहिए।
22. सोहानों बाई, उदउदाः— महुआ डोरी बीनते है, नहीं चाहिए।
23. तदिल कुमारी, उदउदा :— नहीं चाहिए।
24 संतकुमार, उदउदा — नही चाहिए।
25. विहान कुमारी,उदउदा :— नहीं चाहिए।
26. उर्मिला बाई, उदउदा :— नहीं चाहिए विरोध है।
27. बुधवारो, उदउदा :— नहीं चाहिए ।
28. आसो बाई, उदउदा :— नही चाहिए।
29. राजेष त्रिपाठी जनचेतना मंच रायगढ़ :— 24 सितम्बर 2006 के अनुसार आवेदन के 45 दिन के अंदर जनसुनवाई कराया जाना चाहिए । पर यह डेढ़ वर्ष बाद हो रहा है। इन पांचों कम्पनियों पर सी.बी.आई. केस चल रही है। एफ.आई.आर दर्ज है। 1 जनवरी 2014 को इन पांचो को पुनः नोटिस जारी हुआ है, कोयला मंत्रालय द्वारा। ये सब ई.

आई.ए में छिपाया गया है। ई.आई.ए. में किस महिने में, कब अध्ययन किया, किस क्षेत्र में। बिहोर और कोरबा जनजाति का ई.आई.ए. में जिक्र तक नही ं है। ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है। ये अनुसूची 5 का पेषा एक्ट क्षेत्र है। आदिवासी एक सांस्कृति है, जो वनों, जंगल, नदियों कि पूजा करता है। ये जनसुनवाई किसके द्वारा आयोजित कि गई। इसका खर्चा माईक, टेन्ट, पानी, गाड़ी, कौन खर्च कर रहा है। यहां एक एकड़ क्षेत्र में 52 करोड़ का कोयला है। कोई भी आदिवासी अपने जमीन में खेती करना चाहता है कोयला नहीं निकालना चाहता है। विस्थापित परिवारो का किसी कम्पनी ने पुनर्वास नहीं किया । यहां के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है बाहर के लोगो को लिया जाता है। तुम कितने लोगों को नौकरी दोगें बताओंगे? खून चूसने के अलावा कुछ नहीं करते। ढाई हजार एकड जमीन धरजयगढ़ क्षेत्र में कमी हुई है। और ढाई सौ लोगों को नौकरी नही मिली है। 350 मीटर गहराई पर कोयला निकाला जायेगा। पानी डाऊन हो जायेगा। एक भी कम्पनी सी.एस.आर का पालन नही करता है। यहां के सांस्कृति को संरक्षण नहीं करते । ई.आई.ए में नही बताया है कि सड़क मार्ग से कोयला ले जाने पर सड़क, स्कूल अस्पताल बनायेगें। पर्यावरण के इन्स्टुमेंट कहा–कहा लगाये थे। बताया जाये। डी.बी. और बालकों के ऑकडे अपने ई.आई.ए. में रख ली है। यहां हाथी रहते है एक वर्ष 22 हाथी मरे है। 42 लाख हाथी का क्षति वन विभाग द्वारा दिया गया है। ये लोगों के हित में काम नही करते। ई.आई.ए में भारत सरकार का 2009 का वायु मापन सीमा को नहीं बताया गया है। इस बजट के अनुसार जनसुनवाई होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र का जब तक अध्ययन नही होता तब तक कोई माईन नहीं खुलना चाहिए।

30. संजय, फतेहपुर :–ग्राम सभा नहीं हुई है। मैं यहां का किसान हूॅ। ग्राम सभा भंग हो गई। बेहरा और साहू से पूछा जाये। यहां दारू बांटा जाता है। जो मर गये है उसका दस्खत कैसे हुआ? हम सबके जमीन के जिम्मेदार नही है, यह बंद होना चाहिए। दारू पिलाके कहता है कि ग्राम सभा हो गई। आपसे निवेदन है कि अत्याचार न होने पाये।
31. अनिल अग्रवाल, रायगढ़ः– पुरजोर विरोध करता हूॅ। आदिवासी परिवार का नुकसान न हों। सी.बी.आई ने 24 अगस्त 2012 को केस दर्ज किया है। 2004 से 2009 के बीच आबंटित खदानों पर भारत सरकार निर्देष जारी किया है। यह क्षेत्र अनुसूची 5 में है। मनरेगा के तहत कई कार्य इस क्षेत्र में हो चुके है उसका उल्लेख नही है। शासन को व्यापक नुकसान हो रहा है। जल के बारे में नही बताया गया है। ई.आई.ए. फर्जी है। जनसुनवाई का पूर्ण विरोध करता हूॅ।
32. गोकुल नारायण यादव, धरमजयगढ :– मैं प्रताडित हूॅ। जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग करता हूॅ। ई.आई.ए में त्रृटि है। पुनः बनाया जायें। हाथी प्रभाव क्षेत्र है सैकड़ो हाथी मारे गये है। प्रकृति का पूजा करते है, अतः उसका संरक्षण होना चाहिए। भारत जनता युवा मोर्चा रायगढ़ की ओर से कहता हूॅ।
33. राकेष कुमार भोय, धरमजयगढ़ :– भ्रष्ट्राचार बढ गया है किस पर विष्वास करें। ग्राम सभा नहीं किया गया है। ई.आई.ए रिपोर्ट में 1280 लोगो को नौकरी दिया जायेगा । चार गांव प्रभावित रहेगें। वे कहा के रहेगें, क्या वे बाहर के रहेगें ? तो हम कहा जायेगें। जनसुनवाई निरस्त करें।
34. भोजराम, फतेहपुर :– दस्तखत करों, रू. पैसा लो, बोल रहे थे फर्जी कम्पनी है। हमर महुआ डोरी है। और कुछ नहीं है।
35. साजन कुमार, धरमजयगढ़ :– एल.आई.बी की टीम हमारे पीछे पडती है। फर्जी एफ.

आई.आर दर्ज किया जाता है। मैं किसान का बेटा हूँ, आन्दोलन से जुडा हूँ। विरोध करता हूँ।

36. सौरभ अग्रवाल, रायगढ :– मैं विरोध करने आया हूँ। जनसुनवाई का मैं विरोध करता हूँ।

37. गगन, धरमजयगढ :– मंच को उखाड़ने का नौबत आयेगा। अषांति न फैलाये।

38

. डॉ कुर्सीत खान, धरमजयगढ़.:– वृक्ष काटे जायेगे, बीमारी विकसित होगी। इस कारण मैं विरोध करता हूँ।

40 कामती प्रसाद पटेल, फतेहपुर :– विरोध करने वाले पैसा कमाने के चक्कर में रहते है। मैं समर्थन करता हूँ।

41. गोवर्ध्दन डनसेना, रूपुगा :– कम्पनियों का जो विरोध करता है ओ दलाल लोग है। हम समर्थन करते हैं।

42. ध्यानुराम राठिया, नरकोलोः– विरोध करता हूँ।

43. रामलाल बैगा, रूपूंगा :– समर्थन, उचित मुआवाजा दें।

44. कमलाबती, रूपुगा :– ठीक से निकालों। आदिवासी हूँ।

45. हेतराम राठिया, नरकालो :– विरोध ।

46. गहन सिंह, नरकालो :– नहीं देना है।

47 .शासन राम, नरकालों :– जमीन नहीं देना चाहते है।

48. नारायण सिंह राठिया, सरपंच फतेहपुर :– शर्तो के अनुसार समर्थन। रोजगार दे, सड़क , बिजली, परिवहन, अस्पताल, स्कूल, मंदिर की व्यवस्था, उचित मुआवजा दिया जायें। बुजुर्ग व्यक्ति को पेंषन दिया जायें। मुआवजा अधिक से अधिक दिया जायें। 13 कंडिका का समर्थन कम्पनी करे, समर्थन है।

49. पवन कुमार रवानी, फतेहपुरः– उचित मुआवजा जो भी व्यवस्था स्कुल, हास्पिटल, सडक देत है तो समर्थन करता हूँ।

50. किषोर राठिया :– समर्थन है।

51. रफीखान, उदउदा :– जमीन है या नहीं उसको भी मुआवजा दें। प्रति एकड भूमि 85 लाख रू. मुआवजा दे। बेजाकब्जा वाले को 42 लाख दे। भूमिहीन को 5 एकड़ जमीन पाने का अधिकार है। उसे 22.25 लाख रू. प्रति एकड़ की हिसाब से मुआवजा दें। समर्थन है। ग्रामीण विकास युवा मंच का उपाध्यक्ष हूँ। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण करें। पुनर्वास के व्यवस्था करें। पढ़ाई के अच्छा व्यवस्था करें। दुर्घटना में जो मर जाता है उसके परिवार को एक करोड़ रू. दे तो समर्थन है। हम राजनीति नहीं करना चाहते है। समर्थन है।

52. नन्दलाल राठिया, फतेहपुर :– समर्थन।

53. गिरो बाई, फतेहपुर :– समर्थन।

54. मुनू बाई , फतेहपुर :– ....

55. लालजी रवानी, फतेहपुर :– कम्पनी अच्छी मुआवजा दे तो समर्थन ।

56. कर्मठ राठिया, नरकालोः– विरोध करता हूँ।

57. चारबाई, फतेहपुर :– ....

58. सोनीबाई, फतेहपुर :– घर दे।

59. मिजो बाई, फतेहपुर :– ....

60. सुमितराम, रूपुंगा :– न उठाना चाहिए।
61. राजकुमारी राठिया, फतेहपुर :– समर्थन।
62. इन्द्र बाई, फतेहपुर :– समर्थन।
63. मुकेष कुमार यादव, उदउदा :– उचित मुआवजा मिले।
64. भारत राम चौहान,:– समर्थन।
65. गौतम, फतेहुपर'– समर्थन।
66. मानसिंह बैंगा, अमलीटिकरा :– मिट्टी नही आपत्ती।
67. मानसिंह राठिया, फतेहपुर :– समर्थन । अच्छी मुआवजा दें।
68. सुरेष, नरकालों:– नौकरी दें।
69. बलराम बैगा, :– समर्थन।
70 श्रवन, फतेहपुर :–समर्थन।
71. चित्रसेन, फतेहपुर :– उचित मुआवजा देने पर समर्थन। नौकरी दें।
72. राम सिंह राठिया, अमलिटिकरा :– विरोध।
73. षिव प्रसाद पटेल, फतेहपुरः– कम्पनी हमें क्या सुविधा देगी, लिखित में दे। शर्तो के4साथ समर्थन करता हूॅ। पढ़कर सुनाया गया 80 लाख प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाये।
74. राम बिलास, फतेहपुर :– मुआवजा दे। समर्थन।
75. बृजलाल पटेल, फतेहपुर :– समर्थन। शर्तो के साथ गांव में सुविधा दिया जाये। मुआवजा भी मिले। पानी बिलजी मिले । समर्थन।
76. बसंत कुंवर बैगा, उदउदा सरपंचः– विरोध ।
77. मगलाई पंच, उदउदा :– विरोध ।
78. घसनीबाई, उदउदा :– ....
79. ब्रिलाएक्का :– विरोध ।
80. मंजकुंवर बाई :– विरोध।
81. ओम प्रकाष, फतेहपुर :– समर्थन।
82. चैतन राठिया, रूपूगाः –समर्थन।
83. जितेन्द्र राणा, धरमजयगढ़ :– विरोध करता हूॅ। कैंसर तक कि बिमारी हो जायेगी। विरोध।
84. आमावत्ती, नरकालो :– विरोध ।
85. लक्ष्मीबाई, नरकालो – विरोध।
86. रटजितकुंवर, नरकालो – विरोध।
87. नलाआती बैंगा, नरकालो – समर्थन।
88. मनोज कुमार शर्मा, धरमजयढ़ :–विरोध।
89. हरिबिलास यादव, फतेहपुर :– ग्राम सभा के शर्तो के अनुसार काम करता है तो समर्थन है और उचित मुआवजा मिलना चाहिए।
90. तरूण कुमार पटेल, फतेहपुर :– नौकरी देती है तो समर्थन।
91. रविन्द्र राय, धरमजयगढः– जोन से 1 कि.मी. बाद जमीन प्रभावित हो रही है। मुआवजा दिया जाये। सारी व्यवस्था दिया जाये। 60 –70 टन के ट्रको से परिवहन किया जायेगा। सड़कों से परिवहन न किया जाये, रेल के माध्यम से किया जाये। अमलिटिकरा में ओव्हर बर्डन किया जायेगा जिससे मां अम्बेटिकरा मंदिर प्रभावित होगा। सी.एस.आर का कोई काम नहीं किया है। ई.आई.ए को निरस्त करें।

92. प्रेमसिंह राठिया, लक्षमीपुर :– विरोध । जल–जंगल प्रदूषित होही । भूमि में प्रदूषित होही । आदिवासी लोग बलि के बकरा बनथे। सांस्कृति भी प्रभावित होही। आदिवासी संख्या माईन्स के खुलने से कम हो जाही।
93. शंकरलाल, फतेहपुर :– समर्थन।
94. जगदीष प्रसाद, राठिया :– समर्थन।
95. कमल प्रसाद, फतेहपुरः– पुनर्वास का उचित व्यवस्था करे तथा नौकरी दे एवं मुआवजा दे जमीन में लगे पेड़ का सही मुआवजा दे। पट्टा नही उसका भी मुआवजा दे। पानी, बिजली की व्यवस्था, सड़क मार्ग का व्यवस्था, वातावरण का सुरक्षा करे, समर्थन।
96. मिथुन कुमार मंण्डल, धरमजयगढ़ कालोनी :– विरोध।
97. महादेव बैरागी, दुर्गापुर कालोनी सरपंच पूर्व :– पांच कम्पनी का एक साथ जनसुनवाई हो रहा है उसका विरोध है। जीने के लिए पर्याप्त सुविधा होने चाहिए। 470 एकड़ जमीन का ब्रिकी हो चुका है दलालों के नाम से, 1 करोड़ प्रति एकड़ का मुआवजा दे। जमीन का सुधार किये है, धरमजयगढ़ के मंण्डी में सभी धान बंगालियों का है। तमनार में विरोध हो रहा है।
98. तिजराम, फतेहपुर :– सही मुआवजा दे। समर्थन।
99 मेघराम, नरकालोः– जमीन नहीं चाहते विरोध।
100. युगेष कुमार, उदउदा– पर्याप्त मुआवजा दे।
101. गौरीलाल,फतेहपुरः– समर्थन।
102 आनाथराम, फतेहपुर :– अच्छा महुआ, डोरी, चार कहां जायेगे।
103. विजय उपसरपंच, उदउदाः– समर्थन।
104. विजय यादव, फतेहपुर :– समर्थन। कम्पनी सुविधा दे।
105. होमकारी प्रसाद, रूपूगांः– हम जमीन कम्पनी को नहीं बेचे है। समर्थन है।
106. रामलाल,उदउदा– समर्थन।
107. मोहर साय, उदउदा :– समर्थन
108. माकवर अली, उदउदा :– समर्थन।
109 मोहमद असलम खान, उदउदा – समर्थन
110. टीकाराम बैगा, रूपुंगाः– जमीन कम्पनी में आ रहा है। जमीन वृक्ष का मुआवजा दे। नौकरी दे। समर्थन।
111. श्याम सुन्दर, रूपूगाः– समर्थन।
112. दुरूप सिंह राठियाद्व रूपुंगा : समर्थन।
113. लरिमाटी, फतेहपुरः– मुआवजा दे। समर्थन।
114. हसांराम, फतेहपुर – समर्थन।
115 परमेष्वर, फतेहपुर – विरोध।
116. राहुल, फतेहपुरः– समर्थन।
117. निरस साय मेहर, उदउदा – रोजगार दे, सही मुआवजा दे, समर्थन।
118. छबिलाल, फतेहपुरः– रोजगार दे, समर्थन।
119. परमान्द राठिया, फतेहपुर – समर्थन।
120 .राम सिंह, फतेहपुरः– समर्थन।
121. महापत राम, उदउदा– समर्थन।
122. रमेष यादव, फतेहपुर :– समर्थन।
123. रामलाल बैगा, फतेहपुर :– सभी जमीन का मुआवाज मिले, समर्थन।

124. नैनकुमार बैगा, फतेहपुरः— समर्थन।
125. राजेन्द्र कुमार यादव, फतेहपुरः— समर्थन।
126 रामकुमार, फतेहपुर :— समर्थन।
127 देवलाल, फतेहपुरः— समर्थन।
128 तुलारा, फतेहपुरः— समर्थन।
129. फुलसाय, रूपुंगाः— मुआवाजा दे 20 —25 करोड. दे, समर्थन।
130 निरंजकुमार,फतेहपुरः— समर्थन।
131. कार्तिकराम, रूपुंगा :— समर्थन।
132. फुलसिंह, :— समर्थन।
133 हंसा राम, फतेहपुर :— समर्थन।
134. बिसाल, फतेहपुर :— समर्थन।
135 राजेन्द्र , तराईमालः— समर्थन।
136. डमरूधर, तराईमाल :— समर्थन।
137. अषोक, फतेहपुर :—
138. राम प्रसाद बैगा, फतेहपुर :— मुआवजा मिले, समर्थन।
139. सुखसिंह, फतेहपुर :— समर्थन।
140. मंगल सिंह, फतेहपुर : — समर्थन।
141. बाबूराम, फतेहपुर :— समर्थन।
142. लोईत, फतेहपुर :— समर्थन
143 बलराम यादव, फतेहपुर :— समर्थन।
144. चन्द्रषेखर, फतेहपुर :— मकान पेड़ का उचित मुआवजा दे, समर्थन। नौकरी दे तो समर्थन।
145. नरसिंह, फतेहपुर :— समर्थन।
146. महावीर, फतेहपुरः — पेड़ पोधे के मुआवजा दे, समर्थन।
167. मंगलूराम, फतेहपुरः — समर्थन।
148. विनोद कुमार फतेहपुर समर्थन।
149 सुरेष कुमार, फतेहपुर :— समर्थन।
150 फुलसिंह, फतेहपुर :— समर्थन।
151. अर्जुन, फतेहपुर :— समर्थन।
152. हिरदयराम, फतेहपुर —
153. सेतराम, फतेहपुर :— समर्थन।
154. रूपसिंह, फतेहपुर :— समर्थन मुआवजा दे तो।
155. बलदेव, फतेहपुरः — समर्थन।
156. सुचित, फतेहपुर — ....
157. चिनीराम , नरकालो— समर्थन।
157. मदन सिह, उदउदा : — आपत्ती।
158. पुनवासी, उदउदा— मुआवजा मिले, समर्थन।
159. तगबली, उदउदा — समर्थन।
160 मोहन,रूपुंगाः— समर्थन।
161. नेत्रराम, फतेहपुरः— समर्थन।
162. महेषराम, नरकालो— मुआवजा दे तो समर्थन।

163. नरेष, उदउदा – समर्थन।
164 रतिराम, फतेहपुर :– बेजा कब्जा समर्थन।
165. षिवकुमार, नरकालो – समर्थन।
166. राजकुमार, फतेहपुर – उचित मुआवजा दे तो समर्थन।
167 सुमरिन बैगा, उदउदाः– विरोध।
168. सुरज, नरकालोः – जमीन का रायलिटी मिलना चाहिए नया दर मिलना चाहिए। उचित मुआवजा मिले , कम्पनी सुविधा दे, एग्रीमेन्ट करे, समर्थन।
179. धीर साय, नरकालोः– समर्थन।
170. झनकराम, उदउदा : – विरोध।
171 बरमसिंह, रूपुंगाः– उचित मुआवजा दे, समर्थन।
172 विजय कुमार, रूपुंगाः– समर्थन।
173. संतराम, रूपुंगाः – समर्थन।
174. सुरेष, बयासीः– समर्थन।
175 सुकदेवी, उदउदा :– समर्थन
176 नेहर, उदउदा :– आबंटन जमीन का भी उचित मुआवजा दे, नौकरी दे तो समर्थन।
177. महेष्वरी, फतेहपुरः– समर्थन।
178. जयराम बैगा, रूपुंगा :– समर्थन।
179. सरीस राठिया, रूपुंगा :– समर्थन।
180. लाल बहादूर, रूपुंगा :– मुआवाजा दे, तो नौकरी दे।
181 देवसिंह, उदउदा –समर्थन।
182 रामकुमार, रूपुंगा :– समर्थन।
1.83 संतोष कुमार, फतेहपुरः– समर्थन।
184 समतरत लाल, उदउदाः– मुआवजा दे।
185 धनपत, उदउदा :– मुआवजा दिया जाये।
186. नन्दकुमार, रूपुंगाः– समर्थन ।
187 श्याम कुमार, रूपुंगाः– मुआवजा दे, समर्थन।
188. सुखीचंद यादव , फतेहपुरः –
189. कमल किषोर राठिया, रूपुंगाः–समर्थन।
190. जितेन्द्र राठिया, रूपुंगाः– समर्थन।
191 अजय कुमार, फतेहपुर – समर्थन।
192 श्याम सुन्द, रूपुंगाः – समर्थन।
193. चन्द्र भान, रूपुंगा – समर्थन।..
194 सहेसराम, नरकालो :– समर्थन।
195. आषाराम, उदउदाः– विरोध।
196. जगरू राम, उदउदाः – विरोध
197 प्रताप, उदउदाः– समर्थन।
198. मोहर साय, उदउदाः– विरोध।
199 उत्तम निरमल, उदउदा :– काम मिल,समर्थन।
200. उत्तम प्रजापति, उदउदा :– समर्थन।
201. रोहित कुमा, रूपुंगाः– समर्थन।
202. अक्षय, रूपुंगा :– समर्थन।

203. जागेष्वर बैगा, रूपुंगा :– अच्छा मुआवजा दे।
204. नन्हवा प्रसाद, रूपुंगाः –

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में उद्योग/कंपनी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि :– रिहेबीटेषन की विस्तृत चर्चा ई.आई.ए में किया गया है। प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जायेगा। शासन के नियम अनुरूप जमीन एक्वार्येड की जायेगी। फारेस्ट क्लीरेंस के बाद जंगल की जमीन ली जायेगी। एलीफेन्ट जिक्र किया है वाईल्ड लाईफ कन्र्जवेंषन प्लांट का डिटेल ई.आई.ए में दिया गया है। 8 करोड़ का बजट भी इस हेतु दिया गया है। सभी स्पीषीज की जानकारी ई.आई.ए में दी गई है। अमलिटिकरा में मॉ अम्बे के मंदिर का जिक्र किया गया है, इसकी दूरी बताई गई है। टेम्पल रिनोवेंषन करेगे। ब्लास्टिंग इन्टर नेषनल स्टेन्डर्ड के अनुरूप किया जायेगा। पवासी नाले को डाईवर्ट किया जायेगा यह काल वाटर रिसोंर्स डिपारटमेंन्ट द्वारा किया जायेगा इसकी जानकारी दी गई है। माईन पम्प वाटर के लिए सेंडीमेंन्टेषन टेंन्क बनाया जायेगा। जॉच उपरांत स्टेंन्र्ड करते हुये डिस्चार्ज करेगे। धूल सप्रेषन तथा ग्रीन बेल्ट में उपयोग करेगे। वनोपज से जिनका जीवन चलता है। वन कटने से लोगों का जीवन प्रभावित होगा इसके लिए सी.एस.आर. के तहत मसरूम , सेरीकल्चर , सीविंग, कार्य का ट्रेनिंग देकर उनके जीवन –यापन का विकल्प दिया जायेगा। स्पेषल ट्राईब का अध्ययन कर फाईनल ई.आई.ए में समावेष किया जायेगा। सेडीमेन्टेषन पीट एवं गारलेन्ड ड्रेन बनाया जायेगा। इरोजन से नदी नाले को प्रदूषित न हो ऐसी विधि अपनायी जायेगी। टी.ओ.आर के अनुसार ई.आई.ए बनाया गया है। नल –कूप न सूखे इस हेतु सी.एस.आर के तहत वाटर रिचार्ज प्लांट किया जायेगा वंदना उद्योग कोरबा में, एथेना उद्योग जांजगीर चांपा में, आर.केम. जांजगीर में है तथा यवतमाल उद्योग रायगढ़ में प्रस्तावित है। उद्योग का (महाराष्ट्र में) लोकेषन चेज किये जाने के प्रष्न पर पूछा गया है कि संषोधन प्रारूप इस संबंध में पर्यावरण विभाग को क्यों नहीं जमा किया गया है। पर्यावरण विभाग और प्रषासन को धोखे में रखकर कम्पनी ने यह जनसुनवसाई कराया है इसे निरस्त एवं भंग किये जाने की मांग की गई। फतेहपुर के नाम से कोई कम्पनी है क्या? इस संबंध में बताया गया कि पांचो कम्पनियों ने कोयला मंत्रालय , भारत सरकार के निर्देषानुसार फतेहपुर ईस्ट कोल प्रा.लि. के नाम से एक कम्पनी स्थापित की है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं पर उद्योग द्वारा अपना पक्ष रखा गया। सुनवाई के दौरान कई लोगों द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। सम्पूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोंग्राफी की गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा सायं 6:40 बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका–टिप्पणी पर कम्पनी प्रतिनिधी की ओर से जवाब देने के पष्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई ।

(जे. लकड़ा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(श्री श्याम घावड़े)
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)